अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

कॉरपोरेट आइडेंटिफिकेशन नं. (CIN)- U40109RJ2000SGC016482
रजि. ऑफिस. विद्युत भवन, पंचशील नगर, माकडवाली रोड, अजमेर
Ph. :- 0145-2644519 Fax :- 0145-2644518 Website :- www.avvnl.com Email :- secy.admn11ajmer@gmail.com

क्र. अविविनिलि / सचिव (प्रशा.) / कार्मिक / प. प्रे. 8176 दिं 1.2.17

Most Urgent
Out - Today

मुख्य / संभागीय मुख्य अभियंता ( ),
मुख्य लेखाधिकारी ( )
अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक (सतर्कता)
अधीक्षण अभियन्ता ( )
कम्पनी सचिव,
उप भण्डार नियंत्रक
निजि सहायक, प्रबन्ध निदेशक,
निजि सहायक निदेशक (वित्त / तकनीकी)
अविविनिलि, ...

विषय :–समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रतिवर्ष 01 जनवरी की स्थिति में 2016 (01.01.2017) की अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत करने बाबत् ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्रीमान शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प. 13(76) का / क–1 गो प्र. / 2011 जयपुर दिंनाक 14.01.2017 कि प्रतिलिपि सलंग्न कर निर्देशानुसार लेख है कि आप अपने अधीन कार्यरत सभी अधिकारियों / कर्मचारियों (जिनकी ग्रेड पे 4200 रूपये या अधिक है) के द्वारा 01 जनवरी की स्थिति में 2016(01.01.2017) की अचल सम्पति विवरण 15 फरवरी 2017 से पूर्व निर्धारित प्रारूप में नियन्त्रक अधिकारी / विभागाधक्ष को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करें ।

नियन्त्रक अधिकारी / विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों से प्राप्त अचल सम्पति का पदवार विवरण तैयार कर सीधे ही नोडल अधिकारी, अधीक्षण अभियन्ता(सू. प्रौ.), अविविनिलि, अजमेर को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु भेजेगें एवं एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

जिन राजपत्रित अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा अपना अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत नहीं किया जायेगा उन्हें विजीलेन्स क्लीयरेंस नही दी जायेगी एवं अचल सम्पति विवरण के अभाव में पदोन्नति एवं आगामी 01 जुलाई को दी जाने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि पर विचार नहीं किया जावे।

निर्देशों की अनुपालना में कोताही हेतु संबंधित अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होगें । सूचित रहें ।

संलग्न :– **उपरोक्तानुसार**

01/2/17
सचिव (प्रशासन)
अवविनिलि, अजमेर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता (सू. प्रौ.), अविविनिलि, अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि वे सभी नियन्त्रक अधिकारी / विभागाधक्षों से प्राप्त अचल सम्पति का ब्यौरा पदवार निगम की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेगें एवं इस कार्यालय को अवगत करायेगें ।
2. श्रीमान् वरिष्ठ .लेखाधिकारी / लेखाधिकारी(अ.जि.वृ / अ.श.वृ / पवस) अविविनिलि,...................को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि सभी अधिकारियों / कर्मचारियों (जिनकी ग्रेड पे 4200 रूपये या अधिक है) की वेतन वृद्धि स्वीकृत करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा अचल सम्पति का ब्यौरा 01 जनवरी 2017 की स्थिति में प्रस्तुत किया गया है । यदि नहीं किया गया है तो अचल सम्पति का ब्यौरा प्रस्तुत करने के बाद ही नियमानुसार उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाये ।

SE (IT). AVVNL AJMER
R. R. No. 3580 Dt. 6/2/17
SECTION..................

सचिव (प्रशासन) 01/2/17

F:\hindi letter.doc

6/2/17

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग,

कमांक प. 13(76)का./क–1/गो.प्र./2011

जयपुर, दिनांक
04 JAN 2017

समस्त अति. मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव/उप शासन सचिव,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)

विषयः– समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रतिवर्ष 1 जनवरी की स्थिति में 2016 (01.01.2017) की अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत करने बाबत।

महोदय,

आपका ध्यान इस विभाग द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र कमांक प. 13(76)कार्मिक/क–1/गो.प्र./2011 दिनांक 14.04.2011, 17.05.2011, 21.06.2012, 29.10.12, 08.04.2013, 20.11.13, 02.01.14, 25.06.14 एवं 13.01.16 की ओर आकर्षित करना चाहूगां, जिसके द्वारा सभी राजपत्रित अधिकारियों को प्रतिवर्ष 1 जनवरी की स्थिति में अचल संपति का विवरण प्रस्तुत किया जाने हेतु निर्देशित किया गया था। जो राजपत्रित अधिकारी अपना अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत नहीं करेंगे उनकी विजिलेंस क्लीयरेंस नहीं दिये जाने, पदोन्नति पर विचार नेंहीं किये जाने एवं अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही आगामी वेतनवृद्धि स्वीकृत किये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया था।

राज्य में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा **प्रतिवर्ष 1 जनवरी की स्थिति में अचल सम्पति विवरण 31 जनवरी तक सम्बन्धित विभाग को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अतः समस्त प्रशासनिक विभागों/विभागाध्यक्षों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि जिन राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपना अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है उन्हें विजीलेन्स क्लीयरेंस नहीं दी जाये। समस्त प्रशासनिक विभागों/विभागाध्यक्षों को यह भी निर्देश दिऐ जाते है कि अचल सम्पति विवरण के अभाव में पदोन्नति एवं आगामी एक जुलाई को दी जाने वाली वेतन वृद्धि पर विचार नहीं किया जावें।**

समस्त प्रशासनिक विभागों/विभागाध्यक्षों को निदेर्शित किया जाता है कि वे नोडल अधिकारियों को अचल सम्पति विवरण कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु निर्देशित करें।

इसकी पालना सुनिश्चित की जावें।

भवदीय,

(भास्कर ए. सावंत)
शासन सचिव

वर्ष (01 जनवरी.................. को) के लिये प्रथम नियुक्ति के समय की स्थावर सम्पत्ति सहित सम्पूर्ण स्थावर सम्पत्ति का विवरण

1 अधिकारी का नाम तथा पद जिससे यह संबंधित है :-		3 किस सेवा संवर्ग से है :-			
		4 वर्तमान वेतन :-		5 जन्म तिथि :-	
2 वर्तमान में धारित पद :-					

उस जिले उप-खण्ड तहसील तथा गांव का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्तियों का नाम तथा विवरण आवासीय तथा भूमी अन्य भवन	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं की नही है तो बताएं कि वह किसके नाम से धारित है तथा उस सदस्य के साथ आपका क्या संबंध है	कैसे अर्जित की । यदि क्रय पट्टे द्वारा या बंधक उत्तराधिकार दान या अन्यथा रूप से अर्जित की गई है तो अर्जन की तारीख तथा नाम साथ ही उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गई है	सम्पति से आय (वार्षिक)	अभ्युक्ति

हस्ताक्षर ....

दिनांक ....

SMO 2 (I)

2

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग,

क्रमांक प. 13(76)का./क–1/गो.प्र./2011 जयपुर, दिनांक 14 APR 2011

परिपत्र

विषयः– अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत करने बाबत ।

राज्य सरकार द्वारा राज्य में कार्यरत सभी राजपत्रित अधिकारियों की अचल सम्पति का विवरण 1.1.2011 व उसके पश्चातवर्ती वर्षो की अचल सम्पति का विवरण सार्वजनिक किए जाने का निर्णय लिया गया है । जो अधिकारी उक्त सूचना प्रस्तुत नहीं करेंगे उनकी विजीलेंस क्लीयरेंस नहीं दी जावेगी एवं पदोन्नति पर विचार नहीं कियाँ जावेगा । यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सभी बोर्ड, निगम, स्वायत्तशाषी संस्थाओं एवं राजकीय उपक्रमों पर भी लागू होंगे । अतएवं उक्त सभी अधिकारियों द्वारा वर्ष 2010 के लिए (1.1.2011 की स्थिति में) अपनी अचल सम्पति विवरण संलग्न निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 30.4.2011 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जावें ।

1. राज्य सेवा अधिकारियों द्वारा अपनी अचल सम्पति विवरण उप शासन सचिव, कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रस्तुत किया जावें ।
2. अधिनस्थ सेवाओं कें सभी राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपनी अचल सम्पति विवरण अपने सम्बन्धित विभागाध्यक्षों को प्रस्तुत किया जावें ।
3. निगम, बोर्ड, स्वायत्तशाषी संस्थाओं एवं सभी राजकीय उपक्रमों में कार्यरत अधिकारियों (जिनकी ग्रेड पे 4200 रूपये या अधिक है) द्वारा अपनी अचल सम्पति विवरण अपने निर्धारित प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जावें ।

राज्य सेवा अधिकारियों की अचल सम्पति विवरण जो निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त होंगे उन्हें कार्मिक विभाग द्वारा सार्वजनिक किया जावेगा तथा अधिनस्थ सेवाओं के राजपत्रित अधिकारियों की अचल सम्पति विवरण सम्बन्धित विभागाध्यक्षों द्वारा तथा निगम, बोर्ड, सभी स्वायत्तशाषी संस्थाओं एवं राजकीय उपक्रमों में कार्यरत अधिकारियों की सम्बन्धित निर्धारित प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक किए जायेगें । उक्त सूचना सार्वजनिक किए जाने की प्रकिया दिनांक 31.5.2011 तक पूरी करनी होगी ।

अतः समस्त प्रशासनिक विभागों/विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनें अधीन कार्यरत समस्त राज्य सेवा अधिकारी एवं अधिनस्थ सेवाओं के सभी

राजपत्रित अधिकारियों तथा निगम, बोर्ड, स्वायत्तशाषी संस्थाओं एवं राजकीय उपक्रमों में कार्यरत अधिकारियो को दिनांक 30.4.2011 तक अपनी अचल सम्पति विवरण उपरोक्तानुसार प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करें ।

उपर्युक्त बिन्दु 1, 2 व 3 में वर्णित अधिकारियों द्वारा अपनी अचल सम्पति विवरण निर्धारित प्रपत्र में उपर्युक्त समय सीमा में प्रस्तुत नहीं की जावेगी तों उनकी विजीलेन्स क्लीयरेन्स नहीं दी जायेगी एवं पदोन्नति का परिलाभ नहीं दिया जावेगा ।

संलग्नः प्रपत्र

14/4/11
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–
1.प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय ।
2.प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3.उप सचिव, मुख्य सचिव ।
4.समस्त अति. मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / उप शासन सचिव
5.समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव
6.समस्त संभागीय आयुक्त ।
7.समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)
8.प्रशासनिक सुधार (कोर्डिफिकेशन) विभाग अनुभाग–7 कापियों सहित ।
9.एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग ।

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित है :–
1.सचिव, राजस्थान विधान सभा जयपुर ।
2.सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
3.पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ।
4.अतिरिक्त पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर ।
5.सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर ।
6.पंजीयक राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण जयपुर ।
7.निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
8.समस्त राजस्व अपील अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर राज.
9.रक्षित पत्रावली ।

उप शासन सचिव